माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना–2013 के ऑनलाईन आवेदन करने सम्बन्धी निर्देश

पात्रता

1. यह छात्रवृत्ति सिर्फ भारतीय मूल के विद्यार्थियो को ही देय है।
2. स्नातक/स्नातकोतर स्तर के सामान्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं को ही यह छात्रवृत्ति देय है। बी.एस.टी.सी. या अन्य प्रशिक्षण सर्टीफिकेट, डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रम में अथवा कोचिंग सेन्टर पर अध्ययनरत, स्वंयपाठी या दूरस्थ शिक्षा एवं पत्राचार कोर्स कर रहे विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे।
3. वे विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2013 में उतीर्ण की हो तथा जिन्होंने संकायवार कुल पूर्णांक 500 में से निम्नांकितानुसार या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हो, छात्रवृत्ति के पात्र होंगे।

संकाय	वर्ग	विज्ञान	वाणिज्य	कला
न्यूनतम प्राप्तांक (Cut off)	ST	335	312	312
	SC	341	311	317
	OBC (SBC शामिल)	354	323	327
	GEN	366	339	329

4. विद्यार्थी किसी अन्य स्त्रोत से कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो।
5. अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख रूपये से अधिक नहीं हो।
6. विद्यार्थी Non Creamy Layer से सम्बन्धित होना चाहिए, जिसकी परिभाषा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपनी अधिसूचना सं 36012/22/93 Estt (SCT) दिनांक 8.11.1993 में दी है तथा जिसमें ओ.एम. नं. 36033/3/2004 Estt (Res) दिनांक 09.03.2004 एवं ओ.एम.न. 36033/1/2013-Estt. (Res.)के द्वारा संशोधन किया गया है तथा जिसमें समय–समय पर आगे भी संशोधन किया जा सकता है।
7. MHRD योजनान्तर्गत आवेदक का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना आवश्यक है।

छात्रवृत्ति की राशि एवं अवधि

स्नातक स्तर पर यह छात्रवृत्ति महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के प्रथम तीन वर्ष तक रूपये 1000/- प्रति माह प्रति छात्र की दर से तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रूपये 2000/– प्रति माह प्रति छात्र की दर से दी जायेगी। स्नातक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के चौथे एवं पांचवें वर्ष में 2000/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्तिप्रदान की जायेगी। प्रतिवर्ष यह राशि शैक्षिक सत्र के 10 माह के लिये एक मुश्त प्रथम तीन वर्ष तक 10,000/– रूपये तथा चौथे व पाँचवें वर्ष में रुपये 20,000/– वार्षिक देय होगी।

छात्रवृत्तियों की संख्या

कुल छात्रवृतियॉ 3978 हैं। विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग से उत्तीर्ण विद्यार्थियो में 3:2:1 के अनुपात में यह छात्रवृत्ति आवंटित होगी, जिसका लडके एवं लडकियों में समान संख्या में वितरण होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विकलांग वर्ग में केन्द्रीय आरक्षण नीति की शर्तो तथा आन्तरिक चिन्हित के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

छात्रवृत्ति भुगतान विधि

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली द्वारा DBT योजनान्तर्गत चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि "Electronic Clearing System" के माध्यम से दी जायेगी।
2. आवेदक आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने स्वंय के नाम का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जहॉ E.C.S. सुविधा हो, में खुलवाये एवं बैंक का नाम मय पता, खाता संख्या, IFSC कोड (11 Digit) एवं बैंक ब्रान्च कोड बैंक से ज्ञात कर सही–सही लिखें।
3. छात्रवृत्तिराशि अभिभावक के या 'Joint' खाते में जमा कराने या ड्राफ्ट से भेजने का अनुरोध किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं उस विद्यार्थी का आवेदन पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

छात्रवृत्ति का नवीनीकरण

1. छात्रवृत्ति के लिए चयन होने के पश्चात् प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति नवीनीकरण के लिए अलग से नवीनीकरण आवेदन पत्र द्वारा आवेदन करना होगा।
2. नवीनीकरण अगली कक्षा में कक्षोन्नति पर निर्भर होगा। इस हेतु 60 प्रतिशत या अधिक अंक या समान श्रेणी प्राप्त या दो सेमेस्टरों में कुल अंको के औसत न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही आवेदन के पात्र होंगे। कॉलेज/विश्वविद्यालय में उपस्थिति 75 प्रतिशत या अधिक होनी अनिवार्य है। विद्यार्थी अनुशासनहीनता एवं रैगिंग में संलिप्त नहीं हो।
3. आवेदन पत्र एक बार निरस्त हो जाने पर किसी भी स्थिति में उसका नवीनीकरण नहीं हो सकेगा।

- **आवेदक द्वारा On line आवेदन करने की अंतिम तिथि 07.09.2013**
- **On line भरे गये आवेदन पत्र की प्रति (मय सम्पूर्ण दस्तावेजो की सत्यापित प्रतियों के) बोर्ड कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 14.09.2013**

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें–

1. पात्रता की जांच करें।
2. यदि आप पात्र हैं तो अपने नाम के बैंक खाते की विस्तृत सूचना बैंक का नाम व पूरा पता, खाता नं., IFSC कोड नं. व बैंक ब्रान्च कोड बैंक से प्राप्त करे।
3. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व निर्देश (**Form Filling**) अवश्य पढ़ लें।
4. लॉक करने के पश्चात् **Final Form** के साथ **Joining Report** प्राप्त होगी, इसका A-4 आकार के कागज प्रिन्ट प्राप्त करे
5. Joining Report को जिस कॉलेज में अध्ययनरत है वहॉ के प्राचार्य/संस्था प्रधान के हस्ताक्षर व सील सहित प्रमाणित करवाये।
6. दस रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर आय शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी प्रशासक/राजस्व अधिकारी से प्रमाणित करवायें।
7. ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र का प्रिन्ट निम्नांकित दस्तावेजों के साथ बोर्ड कार्यालय को भेजे :–

i) भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करें जिस पर स्वयं के हस्ताक्षर एवं कॉलेज प्राचार्य के हस्ताक्षर व मोहर से प्रमाणीकरण करवायें।

ii) कॉलेज के प्राचार्य/संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित Joining Report संलग्न करें।

iii) उच्च माध्यमिक परीक्षा–2013 की अंकतालिका की सत्यापित फोटो प्रति, इसके ऊपर दायी ओर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखें।

iv) जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि लागू हो) संलग्न करे। इसके उपर दायी ओर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखें।

v) आय शपथ पत्र रूपये 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी प्रशासक/राजस्व अधिकारी से प्रमाणित मूल ही (Original) संलग्न करे (प्रारूप वेबसाईट पर दिया गया हैं)।

vi) मार्च 2013 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न एवं फार्म नं. 16 (माता–पिता दोनों का) तथा नियोजक द्वारा जारी नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे एवं दायी ओर विद्यार्थी का नाम, प्राप्तांक व रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखें।

vii) स्वयं के नाम के बैंक–पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति जिसमें सभी प्रविष्टियाँ स्पष्ट पढ़ी जा सके।

viii) कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं लेने का घोषणा पत्र 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करे (प्रारूप वेबसाईट पर दिया गया हैं)।

ix) विद्यार्थी के आधार कार्ड की सत्यापित फोटो प्रति। इसके उपर दायी ओर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखें।

x) ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट जिसे रजिस्टेशन नम्बर दिया गया है एवं दस्तावेज निदेशक (शैक्षिक), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजें। लिफाफे के ऊपर बायीं ओर "ऑनलाईन आवेदन केन्द्रीय छात्रवृति–2013" अंकित करे।

- **विद्यार्थी संपूर्ण आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों की एक फोटो प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें।**
- **आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होने, अपूर्ण आवेदन पत्र भेजने अथवा आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी। इस सम्बन्ध में विद्यार्थी से किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं किया जायेगा।**
- छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी समय–समय पर बोर्ड की वेबसाइट पर दी जायेगी।

आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 14.09.2013 है।